SCAT NEWS
स्कैट समाचार
The Latest Update on Whats Happening Around Us In The World Of Satellite & Cable TV
सैटेलाइट और केबल टीवी की दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

JIOSTAR MOVES AGAINST ALLEGED IPTV PIRACY NETWORK

JioStar has initiated criminal proceedings against an alleged IPTV piracy network in Chhattisgarh, accusing it of illegally retransmitting the broadcaster's television channels and JioHotstar content through unauthorised internet-based distribution systems. An FIR has been registered against Rajeev Panjiyara and Citynet Infra Pvt Ltd under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Copyright Act and the Information Technology Act.

TDSAT GIVES IBDF FOUR WEEKS TO RESPOND

The Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) has granted the Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) four weeks to file its response in the ongoing dispute concerning Prasar Bharati's OTT platform, WAVES. The tribunal has fixed July 14 as the next date of hearing.

The case, initiated by the All India Digital Cable Federation (AIDCF), raises broader questions around the regulatory treatment of linear television channels distributed via OTT platforms. While AIDCF argues that such services could disrupt the economics of licensed cable and DTH operators, IBDF and Prasar Bharati have maintained that OTT platforms operate under a distinct regulatory framework and should not be treated as traditional distribution platform operators.

DELHI HC UPHOLDS TRAI'S 12-MINUTE AD CAP

In a landmark ruling for the broadcasting sector, the Delhi High Court has upheld TRAI's regulation restricting advertising on television channels to 12 minutes per clock hour, bringing to an end a legal challenge that has continued for more than 13 years.

The regulation permits a maximum of 10 minutes of commercial advertising and two minutes of self-

जियोस्टार ने कथित आईपीटीवी पायरेसी के खिलाफ कदम उठाया

जियोस्टार ने छत्तीसगढ़ में एक कथित आईपीटीवी पायरेसी नेटवर्क के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की है। उस पर आरोप है कि उसने प्रसारक के टीवी चैनलों और जियोस्टार के कंटेंट को बिना इजाजत वाले इंटरनेट आधारित वितरण सिस्टम के जरिए गैर-कानूनी तरीके से दोबारा प्रसारित किया। भारतीय न्याय संहिता, कॉपीराइट एक्ट और सूचना तकनीकी एक्ट की धाराओं के तहत राजीव पंजियारा और सिटीनेट इंफ्रा प्रा.लि. के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है।

टीडीसेट ने आईबीडीएफ को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसेट) ने प्रसार भारत ओटीटी प्लेटफार्म, वेव्स से जुड़े विवाद में अपना जवाब दाखिल करने के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) को चार सप्ताह का समय दिया है। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की अगली तारीख 14 जुलाई तय की है।

ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) द्वारा शुरू किया गया यह मामला, ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाये जाने वाले लीनियन टेलीविजन चैनलों के रेगुलेटरी नियमों से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है। जहां एआईडीसीएफ का तर्क है कि ऐसी सेवायें लाइसेंस प्राप्त केबल और डीटीएच ऑपरेटरों के बिजनेस मॉडल को नुकसान पहुंचा सकती है, वहीं आईबीडीएफ और प्रसार भारती का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक अलग रेगुलेटरी सिस्टम के तहत काम करते हैं और उन्हें पारंपरिक वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों जैसा नहीं माना जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्राई की 12 मिनट की विज्ञापन सीमा को सही ठहराया

प्रसारण क्षेत्र के लिए एक अहम फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्राई के उस नियम को सही ठहराया है जिसके तहत टीवी चैनलों पर हर घंटे में विज्ञापन की समय-सीमा 12 मिनट तय की गयी है। इस फैसले के साथ ही 13 साल से चल रही कानूनी चुनौती खत्म हो गयी है।

नियम के तहत हर घंटे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट कर्मिशयल विज्ञापन और दो मिनट के सेल्फ-प्रमोशनल कंटेंट की इजाजत है। इस

promotional content every hour. The verdict is expected to have far-reaching implications for broadcasters, particularly news channels and free-to-air networks that depend heavily on advertising revenues. Industry executives believe the decision could lead to tighter inventory management, revised programming strategies and potential increases in advertising rates due to reduced commercial inventory.

AIDCF CHALLENGES TV RATINGS RULE

The All India Digital Cable Federation (AIDCF) has approached the Kerala High Court challenging provisions in the newly notified Television Ratings Policy 2026 that exclude landing page viewership from audience measurement calculations.

The federation has argued that treating landing page impressions as zero viewership ignores existing technological safeguards and could significantly diminish the commercial value of a key business asset for distribution platform operators. The petition also contends that the exclusion could adversely affect the economics of cable distribution networks and alter competitive dynamics within the television ecosystem.

BARC SEEKS LICENCE RENEWAL

The Broadcast Audience Research Council (BARC) has formally applied for renewal of its television ratings licence as the Ministry of Information and Broadcasting continues its review of the Television Ratings Policy 2026.

The application follows discussions between industry representatives and the government regarding implementation timelines and compliance requirements under the revised framework. While the ministry has already relaxed certain provisions relating to governance and measurement expansion targets, stakeholders continue to engage with policymakers on issues including landing page treatment and operational feasibility.■

फैसले का प्रसारकों पर, खासकर न्यूज चैनलों और फ्री–टू–एयर नेटवर्क पर, जो विज्ञापन से होने वाली कमायी पर काफी हद तक निर्भर हैं, दूरगामी असर पड़ने की उम्मीद है। उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज्यादा सख्त हो सकता है, कार्यक्रम की रननीतियों में बदलाव हो सकता है और कमर्शियल इन्वेंट्री कम होने की वजह से विज्ञापनों की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।

एआईडीसीएफ ने टीवी रेटिंग को चुनौती दी

ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) ने केरल उच्च न्यायालय में नयी नोटिफाइड टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 के उन प्रावधानों को चुनौती दी है, जिनके तहत ऑडियंस मेजरमेंट कैलकुलेशन में 'लैंडिंग पेज व्यूअरशिप' को शामिल नहीं किया गया है।

फेडरेशन का तर्क है कि लैंडिंग पेज इंप्रेशन को जीरो व्यूअरशिप मानने से मौजूदा तकनीकी सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया जाता है और इससे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के लिए एक अहम बिजनेस एसेट की वैल्यू काफी कम हो सकती है। यचिकाओं के मुताबिक इससे केबल वितरण नेटवर्क के आर्थिक पहलुओं पर बुरा असर और टेलीविजन इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धी डायनामिक्स बदल सकते हैं।

लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन किया बीएआरसी ने

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) ने अपने टेलीविजन रेटिंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है, क्योंकि आई एंड बी मंत्रालय, टेलीविजन रेटिंग्स नीति 2026 की समीक्षा कर रहा है।

यह आवेदन बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत लागू करने की समय–सीमा और नियमों के पालन की जरूरतों को लेकर उद्योग के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद आया है। हालांकि मंत्रालय ने गवर्नेंस और मैनेजमेंट के दायरे को बढ़ाने के लक्ष्यों से जुड़े कुछ नियमों में पहले ही ढ़ील दी है, लेकिन हितधारक अभी भी पॉलिसी बनाने वालों के साथ लैंडिंग पेज व्यवस्था और संचालन व्यवहार्यता जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं।■